भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5714

06 अप्रैल, 2022 के लिए प्रश्न

कृषि उपज का भंडारण

5714. श्री एम. सेल्वराज:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसानों के लिए कृषि उपज का कटाई- उपरांत भंडारण एक बड़ी समस्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बाढ़, सूखे और पाले जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) का बागवानी प्रभाग देश में बागवानी के विकास के लिए बागवानी का एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत खराब होने वाले बागवानी उत्पाद के लिए शीत भंडारण की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह घटक मांग/उद्यम आधारित है, जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत की 35% की दर पर तथा पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50% की दर पर बैक एंडेड सब्सिडी से जुड़े क्रेडिट के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "शीत भंडारण के निर्माण/विस्तार/ आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

.....2/-

नाबार्ड कंसल्टेंसी सेवा (एनएबीसीओएनएस) द्वारा "अखिल भारत कोल्ड-चेन अवसंचना क्षमता (एआईसीआईसी-2015) पर किए गए अध्ययन के अनुसार यह रिपोर्ट दी है कि वर्ष 2014 में मौजूदा 318.23 लाख टन क्षमता की तुलना में उस समय आवश्यक शीत भंडारण क्षमता 351.00 लाख टन थी। तथापि, देश में मौजूदा शीत भंडारण क्षमता 38.08 मिलियन टन है।
इसके अतिरिक्त, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के संबंध में भारतीय खाद्य निगम सार्वजिनक वितरण प्रणाली प्रचालनों हेतु खरीद के बाद मुख्यतया गेहूं और चावल का भंडारण करता है तथा बफर स्टॉक का रखरखाव करता है। भारतीय खाद्य निगम लगातार भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है तथा भंडारण अंतर के आकलन के आधार पर, निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से भंडारण क्षमता सृजित की जाती है/किराए पर ली जाती हैं:-

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम।
2. केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (सीएसएस)।
3. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉड के तहत साइलो का निर्माण।
4. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
5. निजी भंडारण स्कीम (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना।

विगत 3 वर्षों में और वर्तमान वर्ष में निम्नलिखित गोदामों/साइलो क्षमता का निर्माण किया गया है।

1. केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत 0.4870 लाख टन क्षमता वाले 8 गोदाम।
2. सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉड के अंतर्गत 4.87 लाख टन क्षमता वाले 9 साइलो।
3. निजी उद्यमी गारंटी स्कीमम के अंतर्गत 3.56 लाख टन क्षमता वाले 41 गोदाम।
4. इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों से आवश्यकता के आधार पर निजी भंडारण स्कीम के अंतर्गत गोदाम किराए पर लिए जाते हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राकृतिक आपदाओं और अन्य के कारण खाद्यान्नों को खराब होने से बचाने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख अनुबंध में संलग्न है।

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 06.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5714 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध

भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राकृतिक आपदाओं और अन्य के कारण खाद्यान्नों को खराब होने से बचाने के लिए उठाए गए कदम:-

1. सभी गोदामों का एलिवेटेड प्लिन्थ के साथ विनिर्दिष्टियों के अनुसार निर्माण किया जाता है तथा खाद्यान्नों का भंडारण वैज्ञानिक रूप से निर्मित गोदामों में किया जाता है।
2. भंडारण पद्धतियों के उपयुक्ति वैज्ञानिक कोड अपना कर खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है।
3. खाद्यान्नों में फर्श से नमी आने से रोकने के लिए पर्याप्तव डनेज सामग्री जैसे लकड़ी की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथीन की शीटों का उपयोग किया जाता है।
4. योग्य एवं प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा स्टॉक/गोदामों की नियमित आवधिक निरीक्षण किया जाता है। विभिन्न स्त्रों पर चेक और सुपर-चेक प्रणाली के माध्यनम से नियमित अंतराल पर खाद्यान्नों की गुणवत्तात की निगरानी की जाती है।
5. 'प्रथम आगत प्रथम निर्गत' (एफआईएफओ) सिद्धांत का पालन किया जाता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधि भंडारण से बचा जा सके।
6. खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल कवर्ड रेल वैगनों का उपयोग किया जाता है ताकि पारगमन (ट्रांजिट) के दौरान क्षति से बचा जा सके।
7. स्टॉक की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी और क्षति को कम करने के लिए जिला, क्षेत्र और अंचल स्तर पर क्षति निगरानी प्रकोष्ठ कि स्थापना की गई है। किसी प्रकार की लापरवाही की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारिओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।
8. छत में लीकेज वाले सभी स्थानों को आवधिक रूप से चिह्नित करना और उनकी मरम्मत करना।
9. गोदाम परिसरों में नालियों की सफाई सुनिश्चित करना।
10. यह सुनिश्चित करना कि गोदामों के अंदर कोई रिसाव (सीपेज) नहीं है।
11. परिसर में पानी का जमाव नहीं होने देना।
12. सभी गोदामों में रखे अनाज में कीड़ों के नियंत्रण के लिए प्रधूमन कवर, नॉइलान की रस्सियाँ, जाल और कीटनाशक प्रदान किए जाते हैं।
13. गोदामों में रखे खाद्यान्नों। में कीटों के नियंत्रण के लिए गोदामों में नियमित रूप से और समय पर रोग निरोधक (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोगनिवारक उपचार (प्रधूमन) किए जाते हैं।
14. चूहों के नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय किए जाते हैं।

******